समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

मो0 मोवीन उद्दीन, पिता-मो0अल्लाउद्दीन, सा0+पो0-रहटा, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 78/3242 (उदाकिशुनगंज थाना) प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या- ए/0 555 स्पेन धारित है। इनका पुत्र मो0 जुनैद आलम, पिता-स्व0 मो0 मोवीन उद्दीन, सा0+पो0-रहटा, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- मो0 मोवीन उद्दीन की मृत्यु दिनांक 03.04.2015 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः मो0 जुनैद आलम द्वारा समर्पित मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र के आलोक में उनके पिता स्व0 मो0 मोवीन उद्दीन को प्राप्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 78/3242 (उदाकिशुनगंज थाना) को रद्द करते हुए उस पर धारित शस्त्र संख्या- ए/0 555 स्पेन को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक (मो0 जुनैद आलम) को मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए पावती रसीद की प्रति को इस कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित एक दो नाली बन्दूक संख्या - ए/0 555 स्पेन को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 101 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक- 10 /04/2015

प्रतिलिपि : मो0 जुनैद आलम, पिता-स्व0 मो0 मोवीन उद्दीन, सा0+पो0-रहटा, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या - ए/0 555 स्पेन को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करते हुए जमा प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा